

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

पीठारीन अधिकारी : श्री सर्वेश्वर निम्बार्क, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 14/2025

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. वीराराम पुत्र ताजाराम		1. श्री तहसीलदार सिणधरी
2. पुनमाराम पुत्र ताजाराम		2. हरचन्द्रराम पुत्र घमंडाराम
3. धनाराम पुत्र ताजाराम		3. किशनाराम पुत्र भेराराम जातियान
4. अमेदाराम पुत्र ताजाराम		जाट निवासी पायला कला, तहसील
5. वालाराम पुत्र ताजाराम		सिणधरी
जातियान जाट निवासी पायला		
कला तहसील सिणधरी जिला		
बालोतरा		

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :-

1. श्री जोगराज पोटलिया प्रार्थीगण उपस्थित।
2. नायब तहसीलदार (उपखण्ड कार्यालय)राज.पैरोकार विप्रार्थी सं. 1 की ओर से उपस्थित। शेष एकतरफा।

आदेश

दिनांक- 29.04.2026

1.संक्षेप में आवेदन पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी खेत मौजा पायला कला के खसरा संख्या 616/1, 616/3, 616/4 रकबा 1.6908, 4.0693, 1.4238 हैक्टेयर पटवार हल्का पायला कला तहसील सिणधरी में अवस्थित है। मौके पर प्रार्थी का कब्जा काशत अपने हिस्से की भूमि पर है जहां पर प्रार्थी के रहवासी मकान, ढाणिया, पानी का टांका आदि बने हुए है। प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी के खेत को पक्षकारान के द्वारा आपसी सहमति से तहसील कार्यालय सिणधरी से विभाजन करवाकर अलग किया गया था और मौके व कब्जा के अनुसार विभाजन प्रस्ताव बनाया गया था जिसका विभाजन का नामान्तरकरण भर दिया गया था और लट्ठा दैस में तरमीम भी कर दी गयी थी और विभाजन प्रस्ताव के अनुसार आज दिन तक मौके पर पक्षकारान का कब्जा काशत और काबिज है। जिसको राजस्व रेकर्ड का डिजीटल ऑनलाइन करते समय उक्त खसरे की स्थिति में बदलाव कर मौके के स्थिति के विपरित नक्शे में तरमीम को कर दिया गया। तरमीम करने के दौरान विभाजन

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

प्रस्ताव से हटकर विपरित लट्ठा द्रैस में कर दी गयी थी और विभाजन प्रस्ताव के अनुसार आज दिन तक मौके पर प्रार्थीगण का कब्जा काशत जिसमें प्राथीगण की रहवासी ढाणीयां, टांके, चारबाडे आदि बने हुए है, राजस्व रेकर्ड में दर्ज तरमीम मौका कब्जे के विपरित स्थान पर है। अतः विवादित भूमि की मौका कब्जा स्थिति के अनुसार तरमीम दुरुस्ती करवाने हेतु यह आवेदन पेश किया गया है।

2. प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थी की ओर से नायब तहसीलदार(उपखण्ड कार्यालय) राज.पैरोकार उपस्थित हुए। विवादित भूमि की मौका जांच रिपोर्ट तहसीलदार सिणधरी से तलब की गई।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी कि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी खेत खसरा संख्या 616/1, 616/3, 616/4 रकबा 1.6908, 4.0693, 1.4238 हैक्टेयर मौजा पायला कला पटवार हल्का पायला कला तहसील सिणधरी में अवस्थित है, जिसको पक्षकाराने के द्वारा आपसी सहमति से तहसील कार्यालय सिणधरी में दिनांक 19.12.2025 को विभाजन करवाकर अलग किया गया था और मौके व कब्जा के अनुसार विभाजन प्रस्ताव बनाया गया था जिसको राजस्व रेकर्ड का डिजीटल ऑनलाइन करते समय उक्त खसरे की स्थिति में बदलाव कर मौके के स्थिति के विपरित नक्शे में तरमीम को कर दिया गया। जिसको तरमीम करने के दौरान विभाजन प्रस्ताव से हटकर विपरित लट्ठा द्रैस में कर दी गयी थी और विभाजन प्रस्ताव के अनुसार आज दिन तक मौके पर प्रार्थीगण का कब्जा काशत जिसमें प्राथीगण की रहवासी ढाणीयां, टांके, चारबाडे आदि बने हुए है, राजस्व रेकर्ड में दर्ज तरमीम से विपरित स्थान पर है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर कथन किया कि तहसीलदार सिणधरी ने अपनी मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 19.12.2025 में तरमीम दुरुस्ती करने की सिफारिश की गई है। जो तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार विवादित भूमि की लट्ठा नक्शा में तरमीम दुरुस्ती करवाने का आदेश फरमावे।

4. विप्रार्थी की ओर से राज.पैरोकार नायब तहसीलदार ने अपनी बहस में जाहिर किया, कि तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण का निस्तारण किया जावे।

5. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, दस्तावेजात एवं मौका जांच रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी खेत खसरा संख्या 616/1, 616/3, 616/4 रकबा 1.6908, 4.0693, 1.4238 हैक्टेयर मौजा पायला कला पटवार हल्का पायला कला तहसील सिणधरी में अवस्थित है, जिसको पक्षकाराने के द्वारा आपसी सहमति से तहसील कार्यालय सिणधरी में दिनांक 19.12.2025 को विभाजन करवाकर अलग किया गया था और मौके व कब्जा के अनुसार विभाजन प्रस्ताव बनाया गया था जिसको राजस्व रेकर्ड का डिजीटल ऑनलाइन करते समय उक्त खसरे की स्थिति में बदलाव कर मौके के स्थिति के विपरित नक्शे में तरमीम को कर दिया गया। तरमीम करने के दौरान विभाजन प्रस्ताव से हटकर विपरित लट्ठा द्रैस में कर दी गयी थी और विभाजन प्रस्ताव के अनुसार आज दिन तक मौके पर प्रार्थीगण का कब्जा काशत जिसमें प्राथीगण की रहवासी ढाणीयां, टांके, चारबाडे आदि बने हुए है, राजस्व रेकर्ड में दर्ज तरमीम से विपरित स्थान पर है। एवं तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा काशत


अधिकारी
सिणधरी

के विपरीत लटढा नक्शा में तरमीम हो रखी है, जो कि गलत तरमीम हो रखी है। जिसकी पुष्टि तहसीलदार सिणधरी की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 19.12.2025 से होता है, इस प्रकार प्रार्थीगण के मौके पर कब्जा काश्त से विपरीत तरमीम होने के कारण प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति भी हो रही है, जबकि प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार ही राजस्व रिकॉर्ड नक्शा लटढा में तरमीम होनी चाहिए। ताकि राजस्व रिकॉर्ड की एकरूपता बनी रहें और तहसीलदार सिणधरी ने भी अपनी मौका जांच रिपोर्ट में मौका स्थिति के अनुसार तरमीम दुरुस्त करने की अनुशंसा की गई है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है, कि विवादित भूमि के खातेदारान का मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड नक्शा लटढा में तरमीम नहीं हो रखी है। जो प्रार्थीगण मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार रिकॉर्ड में तरमीम दुरुस्त करवाने के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

6. लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा संख्या 616/1, 616/3, 616/4 रकबा 1.6908, 4.0693, 1.4238 हैक्टेयर मौजा पायला कला पटवार हल्का पायला कला तहसील सिणधरी जिला बालोतरा भूमि की विद्यमान तरमीम निरस्त की जाकर तहसीलदार सिणधरी की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 19.12.2025 के संलग्न प्रस्तावित नक्शा अनुसार तरमीम दुरुस्त करने के आदेश पारित किये जाते हैं। तहसीलदार सिणधरी को तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम दुरुस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। मौका रिपोर्ट के संलग्न प्राप्त नक्शा उक्त आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।



(सर्वेश्वर निम्बार्क)
उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

आदेश आज दिनांक 29.04.2026 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी सिणधरी